HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7767/2025

Vishal Gupta S/o Shri Brij Kishore Gupta, Aged About 33 Years, R/o House No. 217, Mathura Gate, Pakki Sarai, Bharatpur (Raj).

----Accused/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through its Public Prosecutor.

----Respondent

2. Vijaypal Singh, Presently Posted as ASI, P.S. Kotwali Bharatpur, Dist. Bharatpur (Raj).

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anurag Sharma, Adv. with Mr. Akshat Sharma, Adv. Mr. Anoop Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, Dy.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

24/02/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **81/2025,** पुलिस थाना– **कोतवाली भरतपुर,** जिला– **भरतपुर**, अपराध अंतर्गत धारा **112(2), 303(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. दो सप्ताह की वापसी के साथ अयाची संख्या–2 को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में सह–अभियुक्तगण के कथनों के आधार पर झूठा संलिप्त किया गया है,

उनका कथन है कि याची–अभियुक्त कपड़े का व्यवसाय करता है एवं वह आभुषणों की खरीद–फरोख्त में कभी भी संलिप्त नहीं रहा है, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, किन्तु पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **07.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **81/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **दो सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /16